राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 5434

दिनांकः 01.08.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 18 / 23989–90 दिनांक 31.07.18 से पुलिस थाना घाटोली के अभियोग सं0 98 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हेमराज पुत्र विजय सिंह जाति तंवर उम्र 25 साल निवासी कंवरपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2018 को श्री संजय कुमार थानाधिकारी थाना भालता मय जाप्ता के अवैध कार्यो की चेंकिग व गश्त हेतु कस्बा घाटोली एनएच 52 हाईवे पर नाकांबदी के दौरान मुखबिर सूचना से हमराही जाप्ते को अवगत कराकर आसलपुर तिराहे पर पहुंचा तो प्रतीक्षालय मे एक व्यक्ति पुलिस जीप को देखकर भागा, जिसको हमराही जाप्ता की मदद से पकड कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हेमराज पुत्र विजय सिंह जाति तंवर उम्र 25 साल निवासी कंवरपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड बताया। जिसकी तलाशी मे एक देशी कटटा 315 बोर का मिला। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 98 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3 / 25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाया गया। जब्तशुदा देशी कटटा 315 बोर का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आरर्मोरर ने बताया कि देशी कटटा 315 बोर लोहे का बना हुआ। मोजूदा समय मे इसमे पिन फायरिग नही होने के कारण देशी कटटा फायर करने योग्य नही है। मगर बाद बदली पार्टस के यह फायर योग्य हो सकता है जो फायर आर्म्स की जद मे आता है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री दारा सिंह एचसी 979 व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त हेमराज पुत्र विजय सिंह जाति तंवर उम्र 25 साल निवासी कंवरपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

मॉं घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

E/Procecution Senction

जगमग झालावाड